

डाकघर अधिनियम 2023

प्रलिस के लयि:

[डाकघर अधिनियम, 1898](#), [सारवजनकि वयवस्था](#), [आपातकाल](#), [सारवजनकि सुरक्षा](#), [भू- राजस्व](#), [वाक और अभवियक्ती की सवतंतरता](#), [नजिता का अधकार](#) ।

मेन्स के लयि:

डाकघर अधिनियम, 2023 का महत्त्व और इसकी कमयिों ।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में [भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898](#) को नरिसत करते हुए [डाकघर अधिनियम 2023](#) लागू हुआ ।

डाकघर अधिनियम 2023 की मुख्य वशेषताएँ कया हैं?

- **वस्तुओं का अवरोधन और नरिोध:**
 - **धारा 9:** यह प्रावधान केंद्र को कसी भी **अधकारी को राज्य सुरक्षा, वदिशी संबध** आदि से संबधति कारणों से कसी भी डाक वस्तु को रोकने या रोकने के लयि अधकृत करने की अनुमतति देता है ।
 - जनि वस्तुओं में प्रतबिधति सामान होने का संदेह हो या जनि पर सीमा शुल्क लगने का संदेह हो, उन्हें सीमा **शुल्क प्राधकारयिों** को सौंपा जा सकता है ।
- **दायतव से छूट:**
 - **धारा 10:** डाकघर और उसके **अधकारयिों को सेवाएँ प्रदान करने के दौरान हानि**, गलत वतरण, देरी या कषती के लयि देयता से छूट दी गई है, सविय जैसा कनरिधारति कयिा गया हो ।
- **दंड और अपराधों का उनमूलन:** नया अधिनियम 1898 के अधिनियम में उल्लखिति सभी **दंड और अपराधों** को समाप्त कर देता है, जनिमें डाक अधकारयिों द्वारा कदाचार, धोखाधडी तथा चोरी से संबधति दंड एवं अपराध भी शामिल हैं ।
 - इसमें **भुगतान न कयि गए सेवा शुल्क** को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने का प्रावधान शामिल है ।
- **धारा 7 के अंतरगत जुरमाना:** प्रत्येक **व्यक्ती जो डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा** का लाभ उठाता है, उसे ऐसी सेवा के संबध में शुल्क का भुगतान करना होगा ।
- **केंद्र की वशिषिटता को हटाना:** नया अधिनियम पत्रों को **पहुँचाने के लयि** केंद्र के वशिषाधकार को हटा देता है, यह वशिषाधकार 1980 के दशक में नजिी कूरयिर सेवाओं के उदय के कारण प्रभावी रूप से अप्रचलति हो गया था ।
 - यह **अधिनियम अब स्पष्ट रूप से नजिी कूरयिर सेवाओं** को अपने वनियामक दायरे में लाता है तथा सरकार की वशिषिटता की हानि को मान्यता देता है और साथ ही केवल पत्रों को ही नहीं, बल्क कसी भी डाक सामगरी को बंद एवं रोकने के दायरे का वसितार करता है ।
- **डाक सेवा महानदिशक:** नया अधिनियम डाक सेवा के महानदिशक को **वभिन्न अतरिकित सेवाएँ प्रदान करने के लयि आवश्यक गतविधियिों से संबधति वनियम बनाने के लयि अधकृत** करता है, जैसा ककेंद्र सरकार द्वारा नरिधारति कयिा जा सकता है, साथ ही इन सेवाओं हेतु शुल्क नरिधारति करने के लयि भी अधकृत करता है ।
 - यह वधियक डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली **कसी भी सेवा के लयि नरिधारति शुल्क में संशोधन करते समय संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त** कर देता है ।
- **पहचानकर्त्ता एवं पोस्ट कोड:** अधिनियम की धारा 5(1) में कहा गया है ककि **“केंद्र सरकार वस्तुओं पर पते, पता पहचानकर्त्ता एवं पोस्ट कोड के उपयोग के लयि मानक नरिधारति कर सकती है”** ।
 - यह प्रावधान **एक दूरदर्शी अवधारणा** है और साथ ही कसी परसिर की सटीक पहचान के लयि भौगोलिक नरिदेशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड से परविरतति कर देगा ।

??????????:

प्रश्न. भारत के उच्चतम न्यायालय ने नजिता के अधिकार को भारत के संविधान के नमिनलखिति में से कसि अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? (2024)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 16
- (c) अनुच्छेद 19
- (d) अनुच्छेद 21

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/post-office-act-2023>

